राज्यपाल सचिवालय
राजभवन,जयपुर

क्रमांक: : प.19(4)राभ/स्टोर/2016/5514

दिनांक:8 / जून, 2018

खुली निविदा सूचना संख्या–03/2018–19

राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 8329 वर्ग मीटर है, की दैनिक साफ–सफाई के कार्य मय सामान की दरों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें मय सामग्री विवरण के राजभवन की वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in से दिनांक 01.06.2018 को प्रातः 12.00 बजे से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	बोली प्रतिभूति राशि रूपये	बोली दस्तावेज राशि रूपये	टेण्डर जमा कराने की अंतिम तिथि
1	राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 8329 वर्ग मीटर है, की दैनिक साफ–सफाई का कार्य मय सामान (क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है)	3,00,000	6,000	200	11.06..2018

उक्त सेवाओं हेतु निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में, जिन पर स्पष्ट रूप से प्रदाय की जा रही सेवा का नाम लिखा हो, कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन जयपुर के कार्यालय में निर्धारित दिनांक 11.06.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा की जायेगी जो उसी दिवस को अपराह्न 3.00 बजे विभागीय क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

बोली दस्तावेज की राशि व बोली प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे। बिना बोली प्रतिभूति राशि अथवा निश्चित बोली प्रतिभूति राशि से कम राशि की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

(ह)
(लोकेश कुमार सहल)
कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड

क्रमांक: प.19(4)राभ/स्टोर/2016/5515

दिनांक: 07 जून, 2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी (IT), राजभवन, जयपुर को खुली निविदा सूचना दस्तावेज को राजभवन पोर्टल www.rajbhawan.rajasthan.gov.in तथा राज्य सरकार के स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर शीघ्र अपलोड कराने हेतु।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क (प्रकोष्ठ), राजभवन, जयपुर, को निदेशालय जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्रकाशन कराने हेतु।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष, राजभवन, जयपुर को खुली निविदा सूचना विज्ञापन के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र की कटिंग कर लेखा शाखा में भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, राजभवन, जयपुर।

(ह)
कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. अकुशल– 2. अर्द्ध कुशल– 3. कुशल– 4. उच्च कुशल–						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी)

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(v) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन,जयपुर

क्रमांकः प.19(4)राभ/स्टोर/2016/ दिनांकः , 2018

खुली निविदा सूचना संख्या–03/2018–19

विस्तृत निविदा सूचना

राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 8329 वर्ग मीटर है, की दैनिक साफ–सफाई के कार्य मय सामान सहित दरों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते मय सामग्री विवरण के राजभवन की वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in से दिनांक 01 05.2018 को प्रातः 12.00 बजे से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	बोली प्रतिभूति राशि रूपये	बोली दस्तावेज राशि रूपये	टेण्डर जमा कराने की अंतिम तिथि
1	राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 8329 वर्ग मीटर है, की दैनिक साफ–सफाई का कार्य मय सामान (क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है)	3,00,000	6,000	200	11.06..2018

उक्त सेवाओं हेतु निविदाएं मुहरवंद लिफाफे में, जिन पर स्पष्ट रूप से प्रदाय की जा रही सेवा का नाम लिखा हो, कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन जयपुर के कार्यालय में निर्धारित दिनांक 11.06.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा की जायेगी जो उसी दिवस को अपराह्न 3.00 बजे विभागीय क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

वोली दस्तावेज की राशि व बोली प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे। विना वोली प्रतिभूति राशि अथवा निश्चित वोली प्रतिभूति राशि से कम राशि की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

निविदा की शर्तें

राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षैत्रफल 8329 वर्ग मीटर है,की दैनिक साफ–सफाई का कार्य

1. अनुमोदित ठेकेदार को कार्यादेश मिलने के पश्चात निर्देशानुसार कार्यादेश की राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करवाकर रु 500/– के स्टाम्प पेपर पर अनुवन्ध सम्पादित करना होगा।
2. इस कार्य की अवधि अनुवन्ध दिनांक से एक वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति से अवधि बढाई जा सकेगी।
3. राजभवन टाईलेटस व परिसर में सभी सामान को सुरक्षित रखते हुये काम करना होगा .किसी प्रकार का नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई करनी होगी।
4. यदि अनुमोदित ठेकेदार अनुवंध की शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
5. ठेकेदार ठेके को या उसके किसी भाग को अन्य किसी ठेकेदार/संस्था को नहीं देगा अर्थात सबलेट नहीं करेगा।
6. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है तथा किसी भी निविदा को विना किसी कारण वताए निरस्त कर सकता है।
7. ठेका संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर, राजभवन राजस्थान जयपुर, के नाम करना होगा। ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।
8. ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में विभाग को अन्य किसी भी संस्था/ठेकेदार से कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. ठेकेदार को आदेश मिलने के तुरन्त वाद कार्य करना होगा। यदि आदेश मिलने के 7 दिवस में कार्य आरम्भ नहीं किया गया तो उसकी अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी व ठेका रद्द कर दिया जावेगा।
10. उक्त ठेके के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका अंतिम निर्णय श्रीमान सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का मान्य होगा।
11. यदि इस नेचर के कार्य पर नियमानुसार पी.एफ. लागू होता है तो संवेदक को देय होगा अन्यथा नहीं।लागू होने की स्थिति में संवेदक द्वारा इसकी दर सहित स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
12. संवेदक कार्यादेश के पश्चात यदि वह कार्य को अधूरा छोडता है अथवा संतोषजनक ढंग से नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में संवेदक को 7 दिवस का नोटिस जारी किया जायेगा, तत्पश्चात भी अगर स्थिति में सुधार नहीं करता है तो उस पर कुल विल राशि की प्रथम बार 5 प्रतिशत शास्ति, द्वितीय बार 7 प्रतिशत शास्ति एवं तृतीय बार 10 प्रतिशत शास्ति लगायी जायेगी। यदि इसके वाद भी कार्य में सुधार नहीं आता है तो ठेका निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
13. जो फर्म/फर्म मालिक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है उसे निविदा प्रपत्र नहीं दिया जावेगा और ना ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेगा।
14. वित्त (G&T) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ.2.(1)/वित/एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 30.04.2018 अनुसार संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी के संवन्ध में निर्देशों की पालना करनी होगी। (प्रतिसलग्न)
15. राज्य सकार द्वारा समय –समय पर लागू नियमों की पालना करनी होगी।

विडदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

व0लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

वित्त (G&T) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक 30/04/2018

संख्या ..1../2018

परिपत्र

विषयः— राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश बाबत।

संदर्भः— एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में उपापन संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास नहीं किए जाते हैं कि श्रम नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में श्रम नियोजित श्रमिकों के शोषण की संभावना बनी रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सन्दर्भित निर्णय में इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय की पालना में समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार की विभिन्न उपापन संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं एवं संकर्मों के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है तथा उपापन संस्था द्वारा विभिन्न सेवाओं के संपादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का चयन करते हुए किया जाएगा परन्तु प्लेसमेन्ट ऐजेन्सीज के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जाएगा।

उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन की उपापन प्रक्रिया हेतु बोली दस्तावेजों मे अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ- साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा—

(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा —

राज्यपाल सचिवालय
राज भवन, जयपुर

<u>चैक लिस्ट</u>

प्रस्तुत निविदाओ के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित कर सलंग्न किये जावें।

(1) निविदादाता की ओर से दिये जाने वाला पत्र (निविदा प्रपत्र) ।

(2) निविदा की शर्तें ।

(3) आपूर्ति/कार्य/सेवा की दरो की सूची।

(4) अमानत राशि जमा कराने की रसीद/बैंकर्स चैक/डी.डी/चालान

(5) माल एवं सेवाकर (GST) पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति

(6) आयकर स्थाई खाता सं.(PAN) की प्रति

(7) करार पत्र

(8) निविदादाता की घोषणा

(9) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम ,1970 (पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति)

(10) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम ,1952 (पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति)

(11) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियमं ,1948 (पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति)

(12) राजस्थान दुकान एंव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम,1958 (पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति)

या

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत

या

इण्डियन कम्पनी एक्ट 1932 के अन्तर्गत

(13) Annexure A- Conflict of Interest.

(14) Annexure B- Declaration by the Bidder.

(15) Annexure C- Grievance Redressal during Procurement Process.

(16) Annexure D- Additional conditions of contract.

नोटः– (1) प्रपत्रो मे चाही गई सूचनाएँ/जानकारी अपूर्ण होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

(2) प्रत्येक प्रलेख पृष्ठ पर निविदादाता के द्वारा हस्ताक्षर किये जावे।

(3) निविदा में अंकित की गई दरों में कोई ओवरराइटिंग नही की जावें। यदि कोई संशोधन किया गया है तो पृथक से अंकित कर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।

व0 लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. अकुशल– 2. अर्द्ध कुशल– 3. कुशल– 4. उच्च कुशल–						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(v) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

विषयः– राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 8329 वर्ग मीटर है, की दैनिक साफ–सफाई का कार्य मय सामान दरों हेतु निविदा आमंत्रण ।

1. फर्म का नाम व डाक का पता टेलीफोन नम्बर सहित...
....

2. सन्दर्भ..

3. निविदा शुल्क की राशि रूपये.................. रसीद संख्या व दिनांक.......................................

4. बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संख्या........................ जो (बैक का नाम..........................) पर आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या......... दिनांक...................... के लिए बोली प्रतिभूति के पेटे राशि रु 6000/– संलग्न किया गया है।

5. उद्धत की गई राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 8329 वर्ग मीटर है, कि दैनिक साफ–सफाई का कार्य मय सामान सहित की दर संविदा की कालावधि एक वर्ष होगी इस कालावधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर निविदा राशि के आधे अथवा छः माह जो भी पहले हो तक आगे बढाया जा सकता है।

6. राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग से वस्तु एवं सामग्री/ सेवा आदि का व्यवसाय करने हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।

7. फर्म का सम्बन्धित वस्तु एवं सामग्री/ सेवा आदि का मुख्य रूप में व्यवसाय चालू हालत (Running Condition) में होना चाहिए।

8. सेवा कर टिन नं पंजीकरण प्रमाण पत्र, आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) तथा Shop Act के अधीन दुकान का रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है।

9. सचिव, राज्यपाल राजस्थान द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक................ .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न पृष्ठों में दी गई, उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्यता होना स्वीकार करते है।

(चैक लिस्ट के अनुसार सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये है।)

10. राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 8329 वर्ग मीटर है,की दैनिक साफ–सफाई का कार्य करने हेतु वितीय बिड संलग्न परिशिष्ट "क" प्रस्तुत की गई है।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

वरि.लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

वित्त (G&T) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017

जयपुर, दिनांक 30/04/2018
संख्या 1/2018

परिपत्र

विषयः— राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बाबत।

संदर्भः— एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में उपापन संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास नहीं किए जाते हैं कि श्रम नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में श्रम नियोजित श्रमिकों के शोषण की संभावना बनी रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सन्दर्भित निर्णय में इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय की पालना में समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार की विभिन्न उपापन संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं एवं संकर्मों के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन को न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है तथा उपापन संस्था द्वारा विभिन्न सेवाओं के संपादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का चयन करते हुए किया जाएगा परन्तु प्लेसमेन्ट ऐजेन्सीज के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जाएगा।

उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन की उपापन प्रक्रिया हेतु बोली दस्तावेजों मे अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ–साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा—

(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा। :-

नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक .... माह ....सन् 2018 को एक पक्ष के ....
.... (जिसे इसमें आगे "अनुमोदित प्रदायकर्ता" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया ।

2.अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के .... को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम संलग्न में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

3. अनुमोदित प्रदायकर्ता ने राशि रुपये .... की राशि ....
....

1."ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा";

2.किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

3.राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

4.किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगीं।

5.किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत
जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

4.अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैः

(1.) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर .... के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता ....
.... और उसके आदेश में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।

(2.) निविदा सूचना संख्या .... दिनांक ....
.... से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तो को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

(3.) निविदादाता से प्राप्त पत्र संख्या दिनांक .... तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या ..
.... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

(4.) (क) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्तुओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार ......
.... के माध्यम से अनुमादित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।

5. (ख) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से ———————— की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण हैः—

i. बैंक का नाम एवं पता :— ....

ii. बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो) :— ....

iii. बैंक खाता संख्या :— ....

iv. बैंक IFSC कोड नं :— ....

व0 लेखाधिकारी गिरधारी लाल गुप्ता वरिष्ठ लेखाधिकारी	कन्ट्रोलर	सहायक सचिव

परिशिष्ट (क)

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

फाइनेन्शियल बिड प्रपत्र

कार्य का नामः– राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 8329 वर्ग मीटर है, की दैनिक साफ–सफाई का कार्य मय सामान की दरों हेतु निविदा आमंत्रण

बोलीदाता का नामः–..
पताः–..

कार्य का नाम/विवरण	कार्यावधि	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रतिमाह रूपए	विशेष विवरण
राजभवन, जयपुर में टाईलेट्स व अन्य परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 8329 वर्ग मीटर है, की दैनिक साफ–सफाई का कार्य मय सामान।	आदेश दिनांक से एक वर्ष		

नोटः दरों में GST शामिल न कर पृथक से दिये गये कॉलम में अंकित करें एवं GST की दर सरकार द्वारा परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तित दरें देय होगी।

क्षैत्रफल का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. स्वागत कक्ष एवं टाईलेट्स – 95.09 वर्ग मीटर
2. कॉनफ्रेंस हॉल एवं टाईलेट्स – 254.19 वर्ग मीटर
3. जनरल टाईलेट्स – 23.16 वर्ग मीटर
4. सी –1 टाईलेट्स एवं बंगला कैम्पस – 995.99 वर्ग मीटर
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग,राजभवन प्रकोष्ठ टाईलेट्स – 69.69 वर्ग मीटर
6. गैराज के समीप टाईलेट्स – 8.00 वर्ग मीटर
7. सर्विस सेन्टर बाथरूम व टाईलेट्स एवं सम्पूर्ण परिसर – 836.26 वर्ग मीटर
8. स्वीमिंग पूल कैम्पस की सफाई –625.95 वर्ग मीटर
9. जनजातीय प्रकोष्ठ – 3220.00 वर्ग मीटर
10. मंदिर के पिछे की कम्पाउंड वाल से टी.टी. ऑफिस का क्षैत्रफल (टेनिस कोर्ट एवं बैडमिंटन सहित)–2265.98 वर्ग मीटर

कुल क्षैत्रफल 8328.98 वर्ग मीटर

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

व0 लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

6.माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि कें भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगीः—

कम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

7.(1) (i) यदि शास्ति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:—

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणीः (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाजित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।

8. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

4. अनुबन्ध की अवधि आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी तथा परस्पर सहमति अनुसार से उक्त अवधि को बढाया भी जा सकता है।

इसके साक्ष्य में इससे पक्षकारों ने आज दिनांक .... सन् 2018 को अपने हस्ताक्षर किए ।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर /पदनाम	अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

व0 लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..........of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :..
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :...
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

वरि.लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

परिशिष्ट "द"

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) /थोक विक्रेता/ऑथोराईज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेण्ट/ प्राधिकृत डीलर/ डीलर हूँ/हैं । मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ,ब,स एवं नमूना करार पत्र तथा बोली आमंत्रण को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

वo लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the init price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtracts, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in

Which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contact, the quantity of Goods, works or services originally Specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twin's present, of the quality specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit priese or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value go Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier Fails to do so, Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at5 the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very. large and it may not be In the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates or the Bidder, whose Bid is accepted.

व० लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कम्प्ट्रोलर

सहायक सचिव

अनुलग्नक 'अ'

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
   a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

व० लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

अनुलग्नक 'स'

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ________________

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
    (i)hear all the parties to appeal present before him: and
    (ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

व०लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी | (ग)
कन्ट्रोलर | सहायक सचिव

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

व0 लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव